

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच कर्णप्रयाग(निकट-ताज पैलेस गौचर)

उत्तराखण्ड पॉवर कॉरपोरेशन लि० कर्णप्रयाग,

Email:- cgrfupcl@gmail.com पिन कोड:- 246429

पत्रांक:- 1181 / उ०शि०नि०मं० / क०क्षे० / शि०नि० / 2024-25,

दिनांक:- 24/01/2025

वाद संख्या 424 / 2024-25

श्री राकेश फरस्वाण / समस्त ग्रामवासी
ग्राम- बांजबगड़ मैठाणा।

-

परिवादी

बनाम

अधिशाली अभियंता
विद्युत वितरण खण्ड,
गोपेश्वर।

-

विपक्षी

कोरम

श्री अर्जुन सिंह बिष्ट
श्री सन्तोष डिमरी
श्री रघुराज सिंह

उपभोक्ता सदस्य
विधि सदस्य
तकनीकी सदस्य

निर्णय

- उपभोक्ता श्री राकेश फरस्वाण / समस्त ग्रामवासी, ग्राम- बांजबगड़ मैठाणा का शिकायती पत्र उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच को दिनांक 07.10.2024 को प्राप्त हुआ। जिसे वाद सं०- 424 में दर्ज कर लिया गया है।
- शिकायतकर्ता का विद्युत कनेक्शन नं०-GP20416004028 है, जिस पर दिनांक 02.09.2024 को विद्युत विभाग की लापरवाही के कारण प्रार्थी के घर के कई उपकरण (पंखे, फ्रिज, गीजर, बल्ब इत्यादि) जल गये हैं। जिसका कि मुआवजा प्रार्थी विभाग से चाहता है।
- मंच द्वारा दर्ज शिकायत की सुनवाई दिनांक 07.11.2024 के दौरान उपभोक्ता एवं विभाग की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुए, दिनांक 23.12.2024 की सुनवाई के दौरान उपभोक्ता उपस्थित नहीं हुए, विभाग की ओर से श्री आशीष चौधरी सहायक अभियंता वि०वि०खण्ड गोपेश्वर उपस्थित हुए, मंच द्वारा विभाग को उक्त शिकायत की जाँच आख्या अगली सुनवाई तिथि पर प्रेषित करना आदेशित किया गया।
- शिकायतकर्ता के शिकायत की सुनवाई 17.01.2025 के दौरान उपभोक्ता उपस्थित नहीं हुए, विभाग की ओर से श्री आशीष चौधरी सहायक अभियंता वि०वि०खण्ड गोपेश्वर द्वारा मंच को अवगत किया गया कि सम्बन्धित प्रकरण में क्षेत्रीय अवर अभियंता द्वारा अवगत किया गया कि सम्बन्धित पोषक पर दिनांक 02.09.2024 को विद्युत वोल्टेज सामान्य भी व किसी अन्य उपभोक्ता के द्वारा शिकायत नहीं की गयी है।
- मंच द्वारा पत्रावलियों का अवलोकन करने पर पाया गया कि उक्त शिकायत के सम्बन्ध में उपभोक्ता के आन्तरिक त्रुटि के कारण ही उपभोक्ता के उपकरण जले हैं।

आदेश

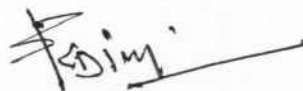
परिवादी द्वारा प्रस्तुत परिवाद बलहीन होने के कारण अस्वीकार किया जाता है। इस निर्णय से सन्तुष्ट न होने पर परिवादी विद्युत ओम्बुड्समैन, 80 बसन्त बिहार, देहरादून में अपील कर सकता है।
पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।



अर्जुन सिंह बिष्ट
(उपभोक्ता सदस्य)

सदस्य-उपभोक्ता।

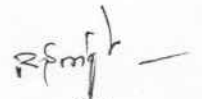
उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
कर्णप्रयाग (मण्डल) UPCL



सन्तोष डिमरी
(विधि सदस्य)

सदस्य-विधि

उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
कर्णप्रयाग (मण्डल) UPCL



रघुराज सिंह
(तकनीकी सदस्य)

सदस्य-तकनीकी

उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
कर्णप्रयाग (मण्डल) UPCL

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच कर्णप्रयाग(निकट-ताज पैलेस गौचर)

उत्तराखण्ड पॉवर कॉरपोरेशन लि० कर्णप्रयाग,

Email:- cgrfupcl@gmail.com पिन कोड:- 246429

पत्रांक:- 1182 / उ०शि०नि०मं० / क०क्ष० / शि०नि० / 2024-25,

दिनांक:- 24/01/2025

वाद संख्या 425 / 2024-25

श्री भरत सिंह,
ग्राम- रोपा, पो०-कुहेड़

बनाम

परिवादी

अधिशाली अभियंता
विद्युत वितरण खण्ड,
गोपेश्वर।

कोरम

विपक्षी

श्री अर्जुन सिंह बिष्ट
श्री सन्तोष डिमरी
श्री रघुराज सिंह

उपभोक्ता सदस्य
विधि सदस्य
तकनीकी सदस्य

निर्णय

1. उपभोक्ता श्री भरत सिंह, ग्राम- रोपा, पो०-कुहेड़, का शिकायती पत्र उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच को दिनांक 07.10.2024 को प्राप्त हुआ। जिसे वाद सं०- 425 में दर्ज कर लिया गया है।
2. शिकायतकर्ता का विद्युत कनेक्शन नं०-GP60363354245 है, जिस पर विद्युत विभाग की लापरवाही के कारण प्रार्थी की दुकान के कई उपकरण (फ्रिज, बल्ब इत्यादि) जल गये हैं। जिसका कि मुआवजा प्रार्थी विभाग से चाहता है।
3. मंच द्वारा दर्ज शिकायत की सुनवाई दिनांक 07.11.2024 के दौरान उपभोक्ता एवं विभाग की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुए, दिनांक 23.12.2024 की सुनवाई के दौरान उपभोक्ता उपस्थित नहीं हुए, विभाग की ओर से श्री आशीष चौधरी सहायक अभियंता वि०वि०खण्ड गोपेश्वर उपस्थित हुए, मंच द्वारा विभाग को उक्त शिकायत की जाँच आख्या अगली सुनवाई तिथि पर प्रेषित करना आदेशित किया गया।
4. शिकायतकर्ता के शिकायत की सुनवाई 17.01.2025 के दौरान उपभोक्ता उपस्थित नहीं हुए, विभाग की ओर से श्री आशीष चौधरी सहायक अभियंता वि०वि०खण्ड गोपेश्वर द्वारा मंच को अवगत किया गया कि सम्बन्धित प्रकरण में क्षेत्रीय अवर अभियंता द्वारा अवगत किया गया कि सम्बन्धित पोषक पर दिनांक 02.09.2024 को विद्युत वोल्टेज सामान्य भी व किसी अन्य उपभोक्ता के द्वारा शिकायत नहीं की गयी है।
5. मंच द्वारा पत्रावलियों का अवलोकन करने पर पाया गया कि उक्त शिकायत के सम्बन्ध में उपभोक्ता के आन्तरिक त्रुटि के कारण ही उपभोक्ता के उपकरण जले हैं।

आदेश

परिवादी द्वारा प्रस्तुत परिवाद बलहीन होने के कारण अस्वीकार किया जाता है। इस निर्णय से सन्तुष्ट न होने पर परिवादी विद्युत ओम्बुड्समैन, 80 बसन्त बिहार, देहरादून में अपील कर सकता है।
पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

अर्जुन सिंह बिष्ट
(उपभोक्ता सदस्य)

सदस्य-उपभोक्ता

उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
कर्णप्रयाग (मण्डल) UPCL

सन्तोष डिमरी
(विधि सदस्य)

सदस्य-विधि

उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
कर्णप्रयाग (मण्डल) UPCL

रघुराज सिंह
(तकनीकी सदस्य)
सदस्य-तकनीकी

उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
कर्णप्रयाग (मण्डल) UPCL

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच कर्णप्रयाग(निकट-ताज पैलेस गौचर)

उत्तराखण्ड पॉवर कॉरपोरेशन लि० कर्णप्रयाग,

Email:- cgrfupcl@gmail.com पिन कोड:- 246429

पत्रांक:- 1183 /उ०शि०नि०मं०/क०क्ष०/शि०नि०/2024-25,

दिनांक:- 24 / 01 / 2025

वाद संख्या 426 / 2024-25

श्री विनोद नम्बूरी,
ग्राम- गोख, जोशीमठ।

-

परिवादी

बनाम

अधिशाली अभियंता
विद्युत वितरण खण्ड,
गोपेश्वर।

-

विपक्षी

कोरम

श्री अर्जुन सिंह बिष्ट
श्री सन्तोष डिमरी
श्री रघुराज सिंह

उपभोक्ता सदस्य
विधि सदस्य
तकनीकी सदस्य

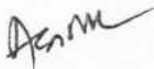
निर्णय

1. उपभोक्ता श्री विनोद नम्बूरी, ग्रा०-गोख, जोशीमठ का शिकायती पत्र उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच को दिनांक 12.09.2024 को प्राप्त हुआ। जिसे वाद सं०- 426 में दर्ज कर लिया गया है।
2. शिकायतकर्ता के अनुसार विभाग द्वारा उपभोक्ता को बिना विद्युत कनेक्शन एवं बिना मीटर लगाये विद्युत बिल दिये जा रहे हैं, प्रार्थी द्वारा मंच से उचित न्याय की मांग की गई है।
3. मंच द्वारा दर्ज शिकायत की सुनवाई दिनांक 07.11.2024 के दौरान उपभोक्ता एवं विभाग की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुए, दिनांक 23.12.2024 की सुनवाई के दौरान उपभोक्ता उपस्थित नहीं हुए, विभाग की ओर से श्री आशीष चौधरी सहायक अभियंता वि०वि०खण्ड गोपेश्वर उपस्थित हुए, मंच द्वारा उपभोक्ता को निर्देशित किया गया कि वह विभाग में अपना विद्युत मीटर जमा करें, तथा विभाग को आदेशित किया गया कि उपभोक्ता द्वारा मीटर जमा करने के पश्चात् विभाग उपभोक्ता के संयोजन का स्थायी विच्छेदन करें।
4. शिकायतकर्ता के शिकायत की सुनवाई 17.01.2025 के दौरान उपभोक्ता उपस्थित नहीं हुए, विभाग की ओर से श्री आशीष चौधरी सहायक अभियंता वि०वि०खण्ड गोपेश्वर द्वारा मंच को अवगत किया गया कि उपभोक्ता का संयोजन प० दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजनान्तर्गत स्वीकृत किया गया था, एवं उक्त संयोजन की उपभोक्ता को आवश्यकता नहीं है। मंच द्वारा विभाग को आदेशित किया गया कि उक्त उपभोक्ता के संयोजन का स्थायी विच्छेदन (PD) कर रिपोर्ट मंच को प्रेषित करें।

आदेश

मंच परिवादी का परिवाद स्वीकार करते हुए अनुज्ञाधिकारी को आदेशित किया गया कि उपभोक्ता के संयोजन का स्थायी विच्छेदन (PD) कर रिपोर्ट मंच को प्रेषित करें। इस निर्णय से सन्तुष्ट न होने पर परिवादी विद्युत ओम्बुड्समैन, 80 बसन्त बिहार, देहरादून में अपील कर सकता है।

तदनुसार परिवाद निस्तारित किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।



अर्जुन सिंह बिष्ट
(उपभोक्ता सदस्य)

सदस्य-उपभोक्ता

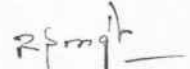
उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
कर्णप्रयाग (मण्डल) UPCL



सन्तोष डिमरी
(विधि सदस्य)

सदस्य-विधि

उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
कर्णप्रयाग (मण्डल) UPCL



रघुराज सिंह
(तकनीकी सदस्य)

सदस्य-तकनीकी

उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
कर्णप्रयाग (मण्डल) UPCL

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच कर्णप्रयाग(निकट-ताज पैलेस गौचर)

उत्तराखण्ड पॉवर कॉरपोरेशन लि० कर्णप्रयाग,

Email:- cgrfupcl@gmail.com पिन कोड:- 246429

पत्रांक:- 1184 /उ०शि०नि०मं० /क०क्ष० /शि०नि० /2024-25,

दिनांक:- 25 / 01 / 2025

वाद संख्या 429 / 2024-25

श्री चंद्र सिंह रावत पुत्र स्व० जमन सिंह रावत,
ग्राम-माणा, पाडुकेश्वर जोशीमठ।

-

परिवादी

बनाम

अधिशाली अभियंता
विद्युत वितरण खण्ड,
गोपेश्वर।

-

विपक्षी

कोरम

श्री अर्जुन सिंह बिष्ट
श्री सन्तोष डिमरी
श्री रघुराज सिंह

उपभोक्ता सदस्य
विधि सदस्य
तकनीकी सदस्य

निर्णय

1. उपभोक्ता श्री चंद्र सिंह रावत पुत्र स्व० जमन सिंह रावत, ग्राम-माणा, पाडुकेश्वर जोशीमठ, का शिकायती पत्र उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच को दिनांक 07.11.2024 को प्राप्त हुआ। जिसे वाद सं०- 429 में दर्ज कर लिया गया है।
2. शिकायतकर्ता के अनुसार विभाग द्वारा उपभोक्ता को विद्युत संयोजन विच्छेदित करने का नोटिस दिया गया है जबकि उपभोक्ता द्वारा अपने सभी विद्युत बिल समय से जमा किये गये हैं। प्रार्थी द्वारा मंच से उचित न्याय की मांग की गई है।
3. मंच द्वारा दर्ज शिकायत की सुनवाई दिनांक 23.12.2024 के दौरान उपभोक्ता उपस्थित नहीं हुए, विभाग की ओर से श्री आशीष चौधरी सहायक अभियंता वि०वि०खण्ड गोपेश्वर उपस्थित हुए।
4. मंच द्वारा पत्रावलियों का अवलोकन करने पर पाया गया कि उपभोक्ता का भूमि सम्बन्धित विवाद माननीय न्यायालय में लम्बित है, न ही विभाग द्वारा ऐसी कोई जाँच रिपोर्ट पत्रावली में प्रस्तुत की गयी कि मामला न्यायालय में विचाराधीन है, अथवा नहीं। जबकि उपभोक्ता द्वारा दिनांक 07.11.2024 के प्रार्थना पत्र के बिन्दु सं०-06 में स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि शिकायतकर्ता व उपभोक्ता का मा० न्यायालय में वाद सं०-96/2022-23 श्री चन्द्र सिंह बनाम विजय नारायण विचाराधीन है, इस प्रश्न पर भी शिकायतकर्ता और विभाग द्वारा कोई प्रत्युत्तर मंच के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया है, और न ही पत्रावली में कोई दस्तावेज उपलब्ध है।

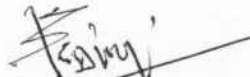
आदेश

मंच का यह मत है कि जब तक मामला मा० न्यायालय में विचाराधीन है, तब तक उपभोक्ता का विद्युत विच्छेदन किया जाना गैरकानूनी प्रतीत होता है। इस प्रकार उपखण्ड अधिकारी द्वारा दिनांक 07.10.2024 को उपभोक्ता श्री चन्द्र सिंह को जारी नोटिस गलत है। उपभोक्ता का विद्युत संयोजन न्यायहित में यथावत रखे जाए।

पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।



अर्जुन सिंह बिष्ट
(उपभोक्ता सदस्य)
सदस्य-उपभोक्ता
उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
कर्णप्रयाग (मण्डल) UPCL



सन्तोष डिमरी
(विधि सदस्य)
सदस्य-विधि
उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
कर्णप्रयाग (मण्डल) UPCL



रघुराज सिंह
(तकनीकी सदस्य)
सदस्य-तकनीकी
उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
कर्णप्रयाग (मण्डल) UPCL

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच कर्णप्रयाग(निकट-ताज पैलेस गौचर)

उत्तराखण्ड पॉवर कॉरपोरेशन लि० कर्णप्रयाग,

Email:- cgrfupcl@gmail.com पिन कोड:- 246429

पत्रांक:- 1185 /उ०शि०नि०मं० /क०क्ष० /शि०नि० /2024-25,

दिनांक:- 25/01/2025

वाद संख्या 432/2024-25

श्रीमती रूपा देवी,
ग्राम- भटियाणा, लॉखी।

परिवादी

अधिशाली अभियंता
विद्युत वितरण खण्ड,
गोपेश्वर।

बनाम

विपक्षी

कोरम

श्री अर्जुन सिंह बिष्ट
श्री सन्तोष डिमरी
श्री रघुराज सिंह

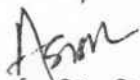
उपभोक्ता सदस्य
विधि सदस्य
तकनीकी सदस्य

निर्णय

- उपभोक्ता श्रीमती रूपा देवी, ग्रा०-भटियाणा, लॉखी का शिकायती पत्र उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच को दिनांक 13.11.2024 को प्राप्त हुआ। जिसे वाद सं०- 432 में दर्ज कर लिया गया है।
- शिकायतकर्ता के अनुसार विभाग द्वारा उपभोक्ता को उसकी विद्युत आपूर्ति से बहुत अधिक के विद्युत बिल दिये जा रहे हैं, प्रार्थी द्वारा मंच से उचित न्याय की मांग की गई है।
- मंच द्वारा दर्ज शिकायत की सुनवाई दिनांक 23.12.2024 के दौरान उपभोक्ता उपस्थित नहीं हुए, विभाग की ओर से श्री आशीष चौधरी सहायक अभियंता वि०वि०खण्ड गोपेश्वर उपस्थित हुए, मंच द्वारा विभाग को आदेशित किया गया कि विभाग अगली सुनवाई में उपभोक्ता के मीटर रीडिंग का भौतिक सत्यापन कर रिपोर्ट मंच में प्रेषित करें।
- शिकायतकर्ता के शिकायत की सुनवाई 17.01.2025 के दौरान उपभोक्ता उपस्थित नहीं हुए, विभाग की ओर से श्री आशीष चौधरी सहायक अभियंता वि०वि०खण्ड गोपेश्वर द्वारा मंच के सम्मुख उपभोक्ता की पत्रावली प्रस्तुत की गई।
- मंच द्वारा पत्रावलियों का अवलोकन करने पर पाया गया कि विभाग द्वारा उपभोक्ता को मीटर रीडिंग के आधार पर ही विद्युत बिल निर्गत किये जा रहे हैं।

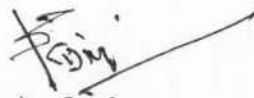
आदेश

परिवादी द्वारा प्रस्तुत परिवाद बलहीन होने के कारण अस्वीकार किया जाता है। इस निर्णय से सन्तुष्ट न होने पर परिवादी विद्युत ओम्बुड्समैन, 80 बसन्त बिहार, देहरादून में अपील कर सकता है।
पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।



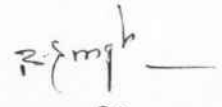
अर्जुन सिंह बिष्ट
(उपभोक्ता सदस्य)
सदस्य-उपभोक्ता

उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
कर्णप्रयाग (मण्डल) UPCL



सन्तोष डिमरी
(विधि सदस्य)
सदस्य-विधि

उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
कर्णप्रयाग (मण्डल) UPCL



रघुराज सिंह
(तकनीकी सदस्य)
सदस्य-तकनीकी

उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
कर्णप्रयाग (मण्डल) UPCL

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच कर्णप्रयाग(निकट-ताज पैलेस गौचर)

उत्तराखण्ड पॉवर कॉरपोरेशन लि० कर्णप्रयाग,

Email:- cgrfupcl@gmail.com पिन कोड:- 246429

पत्रांक:- 1180 /उ०शि०नि०मं० /क०क्ष० /शि०नि० /2024-25,

दिनांक:- 23 /01 /2025

वाद संख्या 418 /2024-25

श्री पुष्कर लाल,
ग्रा०-बमोथ, पो०-शान्तिसदन,
जिला-चमोली।

परिवादी

बनाम

अधिशाली अभियन्ता
विद्युत वितरण खण्ड,
गैरसैण।

विपक्षी

कोरम

श्री अर्जुन सिंह बिष्ट
श्री सन्तोष डिमरी
श्री रघुराज सिंह

सदस्य उपभोक्ता
सदस्य विधि
सदस्य तकनीकि

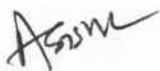
निर्णय

- परिवाद विद्युत बिल के सन्दर्भ में है। श्री पुष्कर लाल, ग्रा०-बमोथ पो०-शान्तिसदन, जिला-चमोली, संयोजन सं०- GS12193215027 वि०वि०खण्ड गैरसैण ने दिनांक 09.08.2024 को पत्र के माध्यम से विद्युत शिकायत निवारण मंच कर्णप्रयाग को अवगत किया द्वारा प्रार्थी को विभाग द्वारा लगभग पाँच-छः वर्ष पूर्व से अनियमित रूप से विद्युत बिल दिये जा रहे हैं। प्रार्थी द्वारा मंच से उचित न्याय की मांग की गई है।
- मंच द्वारा दर्ज शिकायत की सुनवाई दिनांक 07.11.2024 के दौरान उपभोक्ता के प्रतिनिधि श्री पवन कुमार उपस्थित हुए, विभाग की ओर से श्री तरवेज आलम उपखण्ड अधिकारी, वि० वि० उपखण्ड कर्णप्रयाग उपस्थित हुए, विभाग ने अपने पत्रांक 434 दिनांक 06.11.2024 द्वारा अपना पक्ष रखा। उपभोक्ता द्वारा पत्र के माध्यम से मंच को अवगत किया गया कि उपभोक्ता किशतों में अपना विद्युत बिल जमा करेगा तब तक विभाग संयोजन विच्छेदित न करें।
- मंच द्वारा शिकायत की अगली सुनवाई दिनांक 23.12.2024 के दौरान उपभोक्ता उपस्थित हुए, मंच द्वारा उपभोक्ता को अवगत किया गया कि उपभोक्ता किशतों में अपने विद्युत बिल का भुगतान करें, उपभोक्ता द्वारा मंच से निवेदन किया गया कि वह किशतों में अपने विद्युत बिल का भुगतान करेगा।

आदेश

परिवादी द्वारा प्रस्तुत परिवाद का समाधान वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा कर दिया गया है। इस निर्णय से सन्तुष्ट न होने पर परिवादी विद्युत ओम्बुड्समैन, 80 बसन्त बिहार, देहरादून में अपील कर सकता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

तदनुसार परिवाद निस्तारित किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।



अर्जुन सिंह बिष्ट
(उपभोक्ता सदस्य)
सदस्य-उपभोक्ता

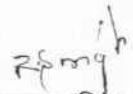
उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
कर्णप्रयाग (मण्डल) UPCL



सन्तोष डिमरी
(विधि सदस्य)

सदस्य-विधि

उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
कर्णप्रयाग (मण्डल) UPCL



रघुराज सिंह
(तकनीकी सदस्य)

सदस्य-तकनीकी

उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
कर्णप्रयाग (मण्डल) UPCL

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच कर्णप्रयाग(निकट-ताज पैलेस गौचर)

उत्तराखण्ड पावर कॉरपोरेशन लि० कर्णप्रयाग,

Email:- cgrfupcl@gmail.com पिन कोड:- 246429

पत्रांक:- 1187 / उ०शि०नि०मं० / क०क्ष० / शि०नि० / 2024-25,

दिनांक:- 27/01/2025

वाद संख्या 439 / 2024-25

श्री विपिन चन्द्र तिवाड़ी (इण्डस टॉवर लि०)
ग्राम-मारगुन महर गाँव,
जिला-रूद्रप्रयाग।

परिवादी

बनाम

अधिशाली अभियन्ता
विद्युत वितरण खण्ड,
रूद्रप्रयाग।

विपक्षी

कोरम

श्री अर्जुन सिंह बिष्ट
श्री सन्तोष डिमरी
श्री रघुराज सिंह

उपभोक्ता सदस्य
विधि सदस्य
तकनीकी सदस्य

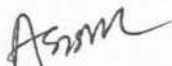
निर्णय

- परिवाद विद्युत बिल के सन्दर्भ में है। श्री विपिन चन्द्र तिवाड़ी (इण्डस टॉवर लि०), ग्राम-मारगुन महर गाँव, जिला-रूद्रप्रयाग ने दिनांक 17.12.2024 को पत्र के माध्यम से विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच कर्णप्रयाग को अवगत किया कि उक्त उपभोक्ता शिकायत निम्नलिखित है।
(i) उपभोक्ता का स्थायी विद्युत कनेक्शन सं०-40118240482 है जिसका कनेक्टेड लोड 15 किलोवाट है जिस पर अगस्त 2023 के महीने में जुलाई 2023 का बिल जो कि 30जून2023 से 31 जुलाई 2023 तक का था। जिसकी शुरुवाती व अंतिम रीडिंग 146895 से 161852 थी और कुल खपत 14957 यूनिट दिखाई गई थी जो वास्तविक तुलना में बहुत अधिक है जिसके लिए उपभोक्ता ने बिल में सुधार के लिए विभाग में सम्पर्क किया।
(ii) 31 जुलाई 2023 से 31 अगस्त 2024 तक एक और बिल 39985 यूनिट का बनाया गया। 31 अगस्त 2023 से 30 सितम्बर 2023 तक का बिल 29493 यूनिट का बना। 30सितम्बर 2023 से 31 जनवरी 2024 के सभी बिल निरस्त किए गए। तथा 31 जनवरी 2024 से मार्च 2024 तक 3474 यूनिट का बिल निर्गत किया गया तथा एमडीआई का 416 किलोवाट का बिल दर्शाया गया जिसका शुल्क 76285रु० लिया गया। 31 जनवरी 2024 तक कुल बकाया 1233068 दिखाया गया, जो पूर्णतः अनुचित है।
- मंच द्वारा दर्ज शिकायत की सुनवाई दिनांक 23.12.2024 के दौरान उपभोक्ता उपस्थित हुए, विभाग की ओर से श्री रोबिन असवाल उपखण्ड अधिकारी, वि०वि०उपखण्ड रूद्रप्रयाग उपस्थित हुए, मंच द्वारा विभाग को आदेशित किया गया कि विभाग अगली सुनवाई में उपभोक्ता की चेक मीटर रिपोर्ट मंच को प्रेषित करें।
- मंच द्वारा दूसरी सुनवाई दिनांक 17.01.2025 के दौरान उपभोक्ता उपस्थित नहीं हुए, विभाग की ओर से श्री अजेन्द्र उपखण्ड अधिकारी वि०वि०उपखण्ड सुमाड़ी उपस्थित हुए, मंच द्वारा विभाग को आदेशित किया गया कि उक्त उपभोक्ता के बिलों को जुलाई 2023 से संशोधित कर प्रेषित करें।

आदेश

मंच परिवादी का परिवाद स्वीकार करते हुए अनुज्ञाधिकारी को आदेशित किया गया कि उपभोक्ता के बिल जुलाई 2023 से संशोधित कर प्रेषित करें। इस निर्णय से सन्तुष्ट न होने पर परिवादी विद्युत ओम्बुड्समैन, 80 बसन्त बिहार, देहरादून में अपील कर सकता है।

तदनुसार परिवाद निस्तारित किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।



अर्जुन सिंह बिष्ट
(उपभोक्ता सदस्य)
सदस्य-उपभोक्ता

उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
कर्णप्रयाग (मण्डल) UPCL



सन्तोष डिमरी
(विधि सदस्य)
सदस्य-विधि

उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
कर्णप्रयाग (मण्डल) UPCL



रघुराज सिंह
(तकनीकी सदस्य)
सदस्य-तकनीकी

उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
कर्णप्रयाग (मण्डल) UPCL

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच कर्णप्रयाग(निकट-ताज पैलेस गौचर)

उत्तराखण्ड पावर कॉरपोरेशन लि० कर्णप्रयाग,

Email:- cgrfupcl@gmail.com पिन कोड:- 246429

पत्रांक:- 1186 / उ०शि०नि०मं० / क०क्षे० / शि०नि० / 2024-25,

दिनांक:- 25/01/2025

वाद संख्या 440 / 2024-25

श्री महेन्द्र प्रसाद नम्बूरी
ग्राम-रविग्राम जोशीमठ।

परिवादी

बनाम

अधिशाली अभियंता
विद्युत वितरण खण्ड,
गोपेश्वर।

विपक्षी

कोरम

श्री अर्जुन सिंह बिष्ट
श्री सन्तोष डिमरी
श्री रघुराज सिंह

उपभोक्ता सदस्य
विधि सदस्य
तकनीकी सदस्य

निर्णय

1. उपभोक्ता श्री महेन्द्र प्रसाद नम्बूरी, ग्राम-रविग्राम जोशीमठ, का शिकायती पत्र उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच को दिनांक 26.12.2024 को प्राप्त हुआ। जिसे वाद सं०- 440 में दर्ज कर लिया गया है।
2. शिकायतकर्ता का विद्युत कनेक्शन नं०-GS11207009510 है, जिस पर उपभोक्ता द्वारा विभाग में चेक मीटर की शिकायत दर्ज की गयी थी जिस पर विभाग ने उपभोक्ता के परिसर पर चेक मीटर स्थापित कर एक सप्ताह पश्चात् बिना उपभोक्ता को सूचित किए चेक मीटर हटा दिया, जिससे उपभोक्ता संतुष्ट नहीं है। प्रार्थी द्वारा मंच से उचित न्याय की मांग की गई है।
3. मंच द्वारा दर्ज शिकायत की सुनवाई दिनांक 17.01.2025 के दौरान उपभोक्ता उपस्थित नहीं हुए, विभाग की ओर से श्री आशीष चौधरी सहायक अभियंता वि०वि०खण्ड गोपेश्वर उपस्थित हुए, मंच द्वारा विभाग को आदेशित किया गया कि उपभोक्ता के परिसर पर पुनः चेक मीटर स्थापित करें।

आदेश

मंच परिवादी का परिवाद स्वीकार करते हुए अनुज्ञाधिकारी को आदेशित किया गया कि उपभोक्ता के परिसर में पुनः चेक मीटर स्थापित करें। इस निर्णय से संतुष्ट न होने पर परिवादी विद्युत ओम्बुड्समैन, 80 बसन्त बिहार, देहरादून में अपील कर सकता है।

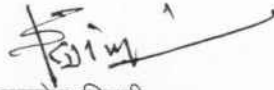
तदनुसार परिवाद निस्तारित किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।



अर्जुन सिंह बिष्ट
(उपभोक्ता सदस्य)

सदस्य-उपभोक्ता

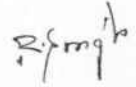
उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
कर्णप्रयाग (मण्डल) UPCL



सन्तोष डिमरी
(विधि सदस्य)

सदस्य-विधि

उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
कर्णप्रयाग (मण्डल) UPCL



रघुराज सिंह
(तकनीकी सदस्य)

सदस्य-तकनीकी

उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
कर्णप्रयाग (मण्डल) UPCL

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच कर्णप्रयाग(निकट-ताज पैलेस गौचर)

उत्तराखण्ड पॉवर कॉरपोरेशन लि० कर्णप्रयाग,

Email:- cgrfupcl@gmail.com पिन कोड:- 246429

पत्रांक:- 1188 /उ०शि०नि०मं० /क०क्ष० /शि०नि० /2024-25,

दिनांक:- 06 /02 /2025

वाद संख्या 450 /2024-25

श्री बलवन्त सिंह,
ग्रा०-हिमनी, पो०-घेस,
जिला-चमोली।

परिवादी

बनाम

अधिशाली अभियन्ता
विद्युत वितरण खण्ड,
नारायणबगड़।

-

विपक्षी

कोरम

श्री अर्जुन सिंह बिष्ट
श्री सन्तोष डिमरी
श्री रघुराज सिंह

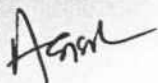
उपभोक्ता सदस्य
विधि सदस्य
तकनीकी सदस्य

निर्णय

1. परिवाद विद्युत श्रेणी के सन्दर्भ में है। श्री बलवन्त सिंह, ग्रा०-हिमनी पो०-घेस, जिला-चमोली, वि०वि०खण्ड नारायणबगड़ ने दिनांक 15.01.2025 को कैम्प के दौरान पत्र के माध्यम से विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच कर्णप्रयाग को अवगत किया कि उपभोक्ता एक BPL श्रेणी का उपभोक्ता है, एवं विभाग द्वारा उनका विद्युत संयोजन APL श्रेणी में जारी किया गया है। पार्थी द्वारा मंच से उचित न्याय की मांग की गई है।
2. मंच द्वारा दर्ज शिकायत की सुनवाई दिनांक 15.01.2025 को कैम्प के दौरान ही की गई। विभाग की ओर से श्री शैलेन्द्र बिष्ट अधिशाली अभियन्ता, वि०वि०खण्ड नारायणबगड़ व श्री अतुल कुमार उपखण्ड अधिकारी वि०वि०उपखण्ड थराली उपस्थित हुए, अधिशाली अभियन्ता द्वारा मंच अवगत किया गया कि हिमाच्छादित क्षेत्र होने की वजह से इस क्षेत्र के सभी विद्युत उपभोक्ताओं के बिल अब छूट के साथ बी०पी०एल० श्रेणी की तर्ज पर ही आएंगे।

आदेश

परिवादी द्वारा प्रस्तुत परिवाद का समाधान वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा कर दिया गया है। इस निर्णय से सन्तुष्ट न होने पर परिवादी विद्युत ओम्बुड्समैन, 80 बसन्त बिहार, देहरादून में अपील कर सकता है। तदनुसार परिवाद निस्तारित किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।



अर्जुन सिंह बिष्ट
(उपभोक्ता सदस्य)
सदस्य-उपभोक्ता

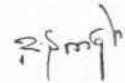
उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
कर्णप्रयाग (मण्डल) UPCL



सन्तोष डिमरी
(विधि सदस्य)

सदस्य-विधि

उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
कर्णप्रयाग (मण्डल) UPCL



रघुराज सिंह
(तकनीकी सदस्य)

सदस्य-तकनीकी

उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
कर्णप्रयाग (मण्डल) UPCL

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच कर्णप्रयाग(निकट-ताज पैलेस गौचर)

उत्तराखण्ड पॉवर कॉरपोरेशन लि० कर्णप्रयाग,

Email:- cgrfupcl@gmail.com पिन कोड:- 246429

पत्रांक:- 1190 / उ०शि०नि०मं० / क०क्षे० / शि०नि० / 2024-25,

दिनांक:- 06/02/2025

वाद संख्या 451 / 2024-25

श्री. त्रिलोक सिंह,
ग्रा० व पो०-घेस,
जिला-चमोली।

परिवादी

बनाम

अधिशाली अभियन्ता
विद्युत वितरण खण्ड,
नारायणबगड़।

विपक्षी

कोरम

श्री अर्जुन सिंह बिष्ट
श्री सन्तोष डिमरी
श्री रघुराज सिंह

उपभोक्ता सदस्य
विधि सदस्य
तकनीकी सदस्य

निर्णय

1. परिवाद विद्युत संयोजन में नाम सही करने के सन्दर्भ में है। श्री त्रिलोक सिंह, ग्रा० व पो०-घेस, जिला-चमोली, वि०वि०खण्ड नारायणबगड़ ने दिनांक 15.01.2025 को कैम्प के दौरान पत्र के माध्यम से विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच कर्णप्रयाग को अवगत किया कि उपभोक्ता के दो विद्युत संयोजन हैं जिनमें उपभोक्ता का नाम गलत दर्ज है। प्रार्थी द्वारा मंच से उचित न्याय की मांग की गई है।
2. मंच द्वारा दर्ज शिकायत की सुनवाई दिनांक 15.01.2025 को कैम्प के दौरान ही की गई। विभाग की ओर से श्री शैलेन्द्र बिष्ट अधिशाली अभियन्ता, वि०वि०खण्ड नारायणबगड़ व श्री अतुल कुमार उपखण्ड अधिकारी वि०वि०उपखण्ड थराली उपस्थित हुए, विभाग द्वारा मंच को अवगत किया गया कि उपभोक्ता की उक्त शिकायत का समाधान कर दिया गया है। उपभोक्ता द्वारा भी मंच को अवगत किया गया कि उसकी शिकायत का समाधान विभाग द्वारा कर दिया गया है।

आदेश

परिवादी द्वारा प्रस्तुत परिवाद का समाधान वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा कर दिया गया है। इस निर्णय से सन्तुष्ट न होने पर परिवादी विद्युत ओम्बुड्समैन, 80 बसन्त बिहार, देहरादून में अपील कर सकता है।

तदनुसार परिवाद निस्तारित किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

अर्जुन सिंह बिष्ट
(उपभोक्ता सदस्य)

सदस्य-उपभोक्ता

उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
कर्णप्रयाग (मण्डल) UPCL

सन्तोष डिमरी
(विधि सदस्य)

सदस्य-विधि

उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
कर्णप्रयाग (मण्डल) UPCL

रघुराज सिंह
(तकनीकी सदस्य)

सदस्य-तकनीकी

उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
कर्णप्रयाग (मण्डल) UPCL

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच कर्णप्रयाग(निकट-ताज पैलेस गौचर)

उत्तराखण्ड पॉवर कॉरपोरेशन लि० कर्णप्रयाग,

Email:- cgrfupcl@gmail.com पिन कोड:- 246429

पत्रांक:- 1191 / उ०शि०नि०मं० / क०क्षे० / शि०नि० / 2024-25,

दिनांक:- 06/02/2025

वाद संख्या 452 / 2024-25

श्री बहादुर राम,
ग्रा०-हिमनी, पो०-घेस,
जिला-चमोली।

परिवादी

बनाम

अधिशाली अभियन्ता
विद्युत वितरण खण्ड,
नारायणबगड़।

विपक्षी

कोरम

श्री अर्जुन सिंह बिष्ट
श्री सन्तोष डिमरी
श्री रघुराज सिंह

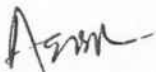
उपभोक्ता सदस्य
विधि सदस्य
तकनीकी सदस्य

निर्णय

1. परिवाद विद्युत लाइन का पोल एवं तारों को सही करने के सन्दर्भ में है। श्री बहादुर राम, ग्रा०-हिमनी, पो०-घेस, जिला-चमोली, वि०वि०खण्ड नारायणबगड़ ने दिनांक 15.01.2025 को कैम्प के दौरान पत्र के माध्यम से विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच कर्णप्रयाग को अवगत किया कि उपभोक्ता के मकान के नजदीक का विद्युत पोल गिरने की स्थिति में है, जिससे जन-हानि का खतरा बना हुआ है। प्रार्थी द्वारा मंच से उचित न्याय की मांग की गई है।
2. मंच द्वारा दर्ज शिकायत की सुनवाई दिनांक 15.01.2025 को कैम्प के दौरान ही की गई। विभाग की ओर से श्री शैलेन्द्र बिष्ट अधिशाली अभियन्ता, वि०वि०खण्ड नारायणबगड़ व श्री अतुल कुमार उपखण्ड अधिकारी वि०वि०उपखण्ड थराली उपस्थित हुए, विभाग द्वारा मंच को अवगत किया गया कि उपभोक्ता की उक्त शिकायत का समाधान कर दिया गया है। उपभोक्ता द्वारा भी मंच को अवगत किया गया कि उसकी शिकायत का समाधान विभाग द्वारा कर दिया गया है।

आदेश

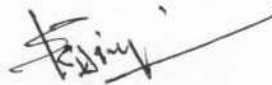
परिवादी द्वारा प्रस्तुत परिवाद का समाधान वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा कर दिया गया है। इस निर्णय से सन्तुष्ट न होने पर परिवादी विद्युत ओम्बुड्समैन, 80 बसन्त बिहार, देहरादून में अपील कर सकता है। तदनुसार परिवाद निस्तारित किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।



अर्जुन सिंह बिष्ट
(उपभोक्ता सदस्य)

सदस्य-उपभोक्ता

उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
कर्णप्रयाग (मण्डल) UPCL



सन्तोष डिमरी
(विधि सदस्य)

सदस्य-विधि

उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
कर्णप्रयाग (मण्डल) UPCL



रघुराज सिंह
(तकनीकी सदस्य)

सदस्य-तकनीकी

उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
कर्णप्रयाग (मण्डल) UPCL

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच कर्णप्रयाग(निकट-ताज पैलेस गौचर)
उत्तराखण्ड पावर कॉरपोरेशन लि० कर्णप्रयाग,

Email:- cgrfupcl@gmail.com पिन कोड:- 246429

पत्रांक:- 1192 / उ०शि०नि०मं० / क०क्ष० / शि०नि० / 2024-25,

दिनांक:- 06 / 02 / 2025

वाद संख्या 453 / 2024-25

श्री मोहन सिंह,
ग्रा० व पो०-घेस,
जिला-चमोली।

परिवादी

बनाम

अधिशाली अभियन्ता
विद्युत वितरण खण्ड,
नारायणबगड़।

विपक्षी

कोरम

श्री अर्जुन सिंह बिष्ट
श्री सन्तोष डिमरी
श्री रघुराज सिंह

उपभोक्ता सदस्य
विधि सदस्य
तकनीकी सदस्य

निर्णय

- परिवाद विद्युत बिल नहीं आने के सन्दर्भ में है। श्री मोहन सिंह, ग्रा० व पो०-घेस, जिला-चमोली, वि०वि०खण्ड नारायणबगड़ ने दिनांक 15.01.2025 को कैम्प के दौरान पत्र के माध्यम से विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच कर्णप्रयाग को अवगत किया कि विभाग द्वारा उपभोक्ता को संयोजन जारी करने के बाद से वर्तमान तक कोई विद्युत बिल प्रेषित नहीं किया गया है। प्रार्थी द्वारा मंच से उचित न्याय की मांग की गई है।
- मंच द्वारा दर्ज शिकायत की सुनवाई दिनांक 15.01.2025 को कैम्प के दौरान ही की गई। विभाग की ओर से श्री शैलेन्द्र बिष्ट अधिशाली अभियन्ता, वि०वि०खण्ड नारायणबगड़ व श्री अतुल कुमार उपखण्ड अधिकारी वि०वि०उपखण्ड थराली उपस्थित हुए, विभाग द्वारा मंच को अवगत किया गया कि उपभोक्ता की उक्त शिकायत का समाधान कर दिया गया है। उपभोक्ता द्वारा भी मंच को अवगत किया गया कि उसकी शिकायत का समाधान विभाग द्वारा कर दिया गया है।

आदेश

परिवादी द्वारा प्रस्तुत परिवाद का समाधान वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा कर दिया गया है। इस निर्णय से सन्तुष्ट न होने पर परिवादी विद्युत ओम्बुड्समैन, 80 बसन्त बिहार, देहरादून में अपील कर सकता है। तदनुसार परिवाद निस्तारित किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

अर्जुन सिंह बिष्ट
(उपभोक्ता सदस्य)
सदस्य-उपभोक्ता

उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
कर्णप्रयाग (मण्डल) UPCL

सन्तोष डिमरी
(विधि सदस्य)
सदस्य-विधि

उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
कर्णप्रयाग (मण्डल) UPCL

रघुराज सिंह
(तकनीकी सदस्य)
सदस्य-तकनीकी

उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
कर्णप्रयाग (मण्डल) UPCL

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच कर्णप्रयाग(निकट-ताज पैलेस गौचर)

उत्तराखण्ड पॉवर कॉरपोरेशन लि० कर्णप्रयाग,

Email:- cgrfupcl@gmail.com पिन कोड:- 246429

पत्रांक:- 1193 / उ०शि०नि०मं० / क०क्षे० / शि०नि० / 2024-25,

दिनांक:- ०६/०१/२०२५

वाद संख्या 454 / 2024-25

श्री भगत सिंह,
ग्रा०-घेस, पो०-घेस,
जिला-चमोली।

परिवादी

बनाम

अधिशाली अभियन्ता
विद्युत वितरण खण्ड,
नारायणबगड़।

विपक्षी

कोरम

श्री अर्जुन सिंह बिष्ट
श्री सन्तोष डिमरी
श्री रघुराज सिंह

उपभोक्ता सदस्य
विधि सदस्य
तकनीकी सदस्य

निर्णय

- परिवाद विद्युत श्रेणी के सन्दर्भ में है। श्री भगत सिंह, ग्रा०-घेस पो०-घेस, जिला-चमोली, वि०वि०खण्ड नारायणबगड़ ने दिनांक 15.01.2025 को कैम्प के दौरान पत्र के माध्यम से विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच कर्णप्रयाग को अवगत किया कि उपभोक्ता एक BPL श्रेणी का उपभोक्ता है, एवं विभाग द्वारा उनका विद्युत संयोजन APL श्रेणी में जारी किया गया है। प्रार्थी द्वारा मंच से उचित न्याय की मांग की गई है।
- मंच द्वारा दर्ज शिकायत की सुनवाई दिनांक 15.01.2025 को कैम्प के दौरान ही की गई। विभाग की ओर से श्री शैलेन्द्र बिष्ट अधिशाली अभियन्ता, वि०वि०खण्ड नारायणबगड़ व श्री अतुल कुमार उपखण्ड अधिकारी वि०वि०उपखण्ड थराली उपस्थित हुए, अधिशाली अभियन्ता द्वारा मंच को अवगत किया गया कि हिमाच्छादित क्षेत्र होने की वजह से इस क्षेत्र के सभी विद्युत बिल अब छूट के साथ बी०पी०एल० श्रेणी की तर्ज कर ही आएंगे।

आदेश

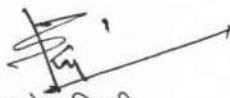
परिवादी द्वारा प्रस्तुत परिवाद का समाधान वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा कर दिया गया है। इस निर्णय से सन्तुष्ट न होने पर परिवादी विद्युत ओम्बुड्समैन, 80 बसन्त बिहार, देहरादून में अपील कर सकता है। तदानुसार परिवाद निस्तारित किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।



अर्जुन सिंह बिष्ट
(उपभोक्ता सदस्य)

सदस्य-उपभोक्ता

उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
कर्णप्रयाग (मण्डल) UPCL



सन्तोष डिमरी
(विधि सदस्य)

सदस्य-विधि

उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
कर्णप्रयाग (मण्डल) UPCL



रघुराज सिंह
(तकनीकी सदस्य)

सदस्य-तकनीकी

उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
कर्णप्रयाग (मण्डल) UPCL

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच कर्णप्रयाग(निकट-ताज पैलेस गौचर)

उत्तराखण्ड पॉवर कॉरपोरेशन लि० कर्णप्रयाग,

Email:- cgrfupcl@gmail.com पिन कोड:- 246429

पत्रांक:- 1194 / उ०शि०नि०मं० / क०क्षे० / शि०नि० / 2024-25,

दिनांक:- ०७/०२/२०२५

वाद संख्या 455/2024-25

श्री आलम सिंह दानू,
ग्रा० व पो०-घेस,
जिला-चमोली।

परिवादी

बनाम

अधिशाली अभियन्ता
विद्युत वितरण खण्ड,
नारायणबगड़।

विपक्षी

कोरम

श्री अर्जुन सिंह बिष्ट
श्री सन्तोष डिमरी
श्री रघुराज सिंह

उपभोक्ता सदस्य
विधि सदस्य
तकनीकी सदस्य

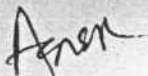
निर्णय

1. परिवाद विद्युत बिल नहीं आने के सन्दर्भ में है। श्री आलम सिंह दानू ग्रा० व पो०-घेस, जिला-चमोली, वि०वि०खण्ड नारायणबगड़ ने दिनांक 15.01.2025 को कैम्प के दौरान पत्र के माध्यम से विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच कर्णप्रयाग को अवगत किया कि विभाग द्वारा उपभोक्ता को संयोजन जारी करने के तीन वर्ष बाद भी कोई विद्युत बिल प्रेषित नहीं किया गया है। प्रार्थी द्वारा मंच से उचित न्याय की मांग की गई है।
2. मंच द्वारा दर्ज शिकायत की सुनवाई दिनांक 15.01.2025 को कैम्प के दौरान ही की गई। विभाग की ओर से श्री शैलेन्द्र बिष्ट अधिशाली अभियन्ता, वि०वि०खण्ड नारायणबगड़ व श्री अतुल कुमार उपखण्ड अधिकारी वि०वि०उपखण्ड थराली उपस्थित हुए, विभाग द्वारा मंच को अवगत किया गया कि उपभोक्ता की उक्त शिकायत का समाधान कर दिया गया है। उपभोक्ता द्वारा भी मंच को अवगत किया गया कि उसकी शिकायत का समाधान विभाग द्वारा कर दिया गया है।

आदेश

परिवादी द्वारा प्रस्तुत परिवाद का समाधान वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा कर दिया गया है। इस निर्णय से सन्तुष्ट न होने पर परिवादी विद्युत ओम्बुड्समैन, 80 बसन्त बिहार, देहरादून में अपील कर सकता है।

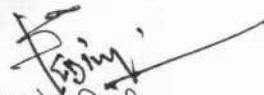
तदनुसार परिवाद निस्तारित किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।



अर्जुन सिंह बिष्ट
(उपभोक्ता सदस्य)

सदस्य-उपभोक्ता

उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
कर्णप्रयाग (मण्डल) UPCL



सन्तोष डिमरी
(विधि सदस्य)

सदस्य-विधि

उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
कर्णप्रयाग (मण्डल) UPCL



रघुराज सिंह
(तकनीकी सदस्य)

सदस्य-तकनीकी

उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
कर्णप्रयाग (मण्डल) UPCL

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच कर्णप्रयाग(निकट-ताज पैलेस गौचर)

उत्तराखण्ड पावर कॉरपोरेशन लि० कर्णप्रयाग,

Email:- cgrfupcl@gmail.com पिन कोड:- 246429

पत्रांक:- 1195 / उ०शि०नि०मं० / क०क्षे० / शि०नि० / 2024-25,

दिनांक:- ०७/०२/२०२५

वाद संख्या 456 / 2024-25

श्रीमती मोतिया देवी,
ग्रा०-हिमनी, पो०-घेस,
जिला-चमोली।

परिवादी

बनाम

अधिकासी अभियन्ता
विद्युत वितरण खण्ड,
नारायणबगड़।

-

विपक्षी

कोरम

श्री अर्जुन सिंह बिष्ट
श्री सन्तोष डिमरी
श्री रघुराज सिंह

उपभोक्ता सदस्य
विधि सदस्य
तकनीकी सदस्य

निर्णय

- परिवाद विद्युत श्रेणी के सन्दर्भ में है। श्रीमती मोतिया देवी, ग्रा०-हिमनी पो०-घेस, जिला-चमोली, वि०वि०खण्ड नारायणबगड़ ने दिनांक 15.01.2025 को कैम्प के दौरान पत्र के माध्यम से विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच कर्णप्रयाग को अवगत किया कि उपभोक्ता एक BPL श्रेणी की उपभोक्ता है, एवं विभाग द्वारा उनका विद्युत संयोजन APL श्रेणी में जारी किया गया है। प्रार्थिनी द्वारा मंच से उचित न्याय की मांग की गई है।
- मंच द्वारा दर्ज शिकायत की सुनवाई दिनांक 15.01.2025 को कैम्प के दौरान ही की गई। विभाग की ओर से श्री शैलेन्द्र बिष्ट अधिकासी अभियन्ता, वि०वि०खण्ड नारायणबगड़ व श्री अतुल कुमार उपखण्ड अधिकारी वि०वि०उपखण्ड थराली उपस्थित हुए, अधिकासी अभियन्ता द्वारा मंच को अवगत किया गया हिमाच्छादित क्षेत्र होने की वजह से इस क्षेत्र के सभी विद्युत उपभोक्ताओं के बिल अब छूट के साथ बी०पी०एल० श्रेणी की तर्ज पर ही आएंगे।

आदेश

परिवादी द्वारा प्रस्तुत परिवाद का समाधान वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा कर दिया गया है। इस निर्णय से सन्तुष्ट न होने पर परिवादी विद्युत ओम्बुड्समैन, 80 बसन्त बिहार, देहरादून में अपील कर सकता है।

तदनुसार परिवाद निस्तारित किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।



अर्जुन सिंह बिष्ट
(उपभोक्ता सदस्य)

सदस्य-उपभोक्ता

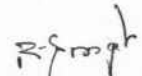
उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
कर्णप्रयाग (मण्डल) UPCL



सन्तोष डिमरी
(विधि सदस्य)

सदस्य-विधि

उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
कर्णप्रयाग (मण्डल) UPCL



रघुराज सिंह
(तकनीकी सदस्य)

सदस्य-तकनीकी

उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
कर्णप्रयाग (मण्डल) UPCL

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच कर्णप्रयाग(निकट-ताज पैलेस गौचर)

उत्तराखण्ड पावर कॉरपोरेशन लि० कर्णप्रयाग,

Email:- cgrfupcl@gmail.com पिन कोड:- 246429

पत्रांक:- 1196 / उ०शि०नि०मं० / क०क्षे० / शि०नि० / 2024-25,

दिनांक:- 07/02/2025

वाद संख्या 457 / 2024-25

श्रीमती भागीरथी देवी,
ग्रा० व पो०-बलाण,
जिला-चमोली।

परिवादी

बनाम

अधिशाली अभियन्ता
विद्युत वितरण खण्ड,
नारायणबगड़।

विपक्षी

कोरम

श्री अर्जुन सिंह बिष्ट
श्री सन्तोष डिमरी
श्री रघुराज सिंह

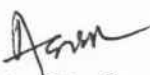
उपभोक्ता सदस्य
विधि सदस्य
तकनीकी सदस्य

निर्णय

- परिवाद विद्युत श्रेणी के सन्दर्भ में है। श्रीमती भागीरथी देवी, ग्रा० व पो०-बलाण, जिला-चमोली, वि०वि०खण्ड नारायणबगड़ ने दिनांक 15.01.2025 को कैम्प के दौरान पत्र के माध्यम से विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच कर्णप्रयाग को अवगत किया कि उपभोक्ता एक BPL श्रेणी की उपभोक्ता है, एवं विभाग द्वारा उनका विद्युत संयोजन APL श्रेणी में जारी किया गया है। प्रार्थिनी द्वारा मंच से उचित न्याय की मांग की गई है।
- मंच द्वारा दर्ज शिकायत की सुनवाई दिनांक 15.01.2025 को कैम्प के दौरान ही की गई। विभाग की ओर से श्री शैलेन्द्र बिष्ट अधिशाली अभियन्ता, वि०वि०खण्ड नारायणबगड़ व श्री अतुल कुमार उपखण्ड अधिकारी वि०वि०उपखण्ड थराली उपस्थित हुए, अधिशाली अभियन्ता द्वारा मंच को अवगत किया गया कि हिमाच्छादित क्षेत्र होने की वजह से इस क्षेत्र के सभी विद्युत उपभोक्ताओं के बिल अब छूट के साथ बी०पी०एल० श्रेणी की तर्ज पर ही आएंगे।

आदेश

परिवादी द्वारा प्रस्तुत परिवाद का समाधान वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा कर दिया गया है। इस निर्णय से सन्तुष्ट न होने पर परिवादी विद्युत ओम्बुड्समैन, 80 बसन्त बिहार, देहरादून में अपील कर सकता है। तदनुसार परिवाद निस्तारित किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।


अर्जुन सिंह बिष्ट
(उपभोक्ता सदस्य)

सदस्य-उपभोक्ता
उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
कर्णप्रयाग (मण्डल) UPCL


सन्तोष डिमरी
(विधि सदस्य)

सदस्य-विधि
उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
कर्णप्रयाग (मण्डल) UPCL


रघुराज सिंह
(तकनीकी सदस्य)

सदस्य-तकनीकी
उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
कर्णप्रयाग (मण्डल) UPCL

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच कर्णप्रयाग(निकट-ताज पैलेस गौचर)

उत्तराखण्ड पॉवर कॉरपोरेशन लि० कर्णप्रयाग,

Email:- cgrfupcl@gmail.com पिन कोड:- 246429

पत्रांक:- 1197 / उ०शि०नि०मं० / क०क्षे० / शि०नि० / 2024-25,

दिनांक:- 07/02/2025

वाद संख्या 458 / 2024-25

श्री दलीप सिंह,
ग्रा०-हिमनी, पो०-घेस,
जिला-चमोली।

परिवादी

बनाम

अधिकासी अभियन्ता
विद्युत वितरण खण्ड,
नारायणबगड़।

विपक्षी

कोरम

श्री अर्जुन सिंह बिष्ट
श्री सन्तोष डिमरी
श्री रघुराज सिंह

उपभोक्ता सदस्य
विधि सदस्य
तकनीकी सदस्य

निर्णय

- परिवाद विद्युत संयोजन में नाम सही करने के सन्दर्भ में है। श्री दलीप सिंह, ग्रा०-हिमनी, पो०-घेस, जिला-चमोली, वि०वि०खण्ड नारायणबगड़ ने दिनांक 15.01.2025 को कैम्प के दौरान पत्र के माध्यम से विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच कर्णप्रयाग को अवगत किया कि उपभोक्ता के विद्युत बिल में उपभोक्ता का नाम गलत दर्ज है। प्रार्थी द्वारा मंच से उचित न्याय की मांग की गई है।
- मंच द्वारा दर्ज शिकायत की सुनवाई दिनांक 15.01.2025 को कैम्प के दौरान ही की गई। विभाग की ओर से श्री शैलेन्द्र बिष्ट अधिकासी अभियन्ता, वि०वि०खण्ड नारायणबगड़ व श्री अतुल कुमार उपखण्ड अधिकारी वि०वि०उपखण्ड थराली उपस्थित हुए, विभाग द्वारा मंच को अवगत किया गया उपभोक्ता की उक्त शिकायत का समाधान कर दिया गया है। उपभोक्ता द्वारा भी मंच को अवगत किया गया कि उसकी शिकायत का समाधान विभाग द्वारा कर दिया गया है।

आदेश

परिवादी द्वारा प्रस्तुत परिवाद का समाधान वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा कर दिया गया है। इस निर्णय से सन्तुष्ट न होने पर परिवादी विद्युत ओम्बुड्समैन, 80 बसन्त बिहार, देहरादून में अपील कर सकता है। तदनुसार परिवाद निस्तारित किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।



अर्जुन सिंह बिष्ट
(उपभोक्ता सदस्य)

सदस्य-उपभोक्ता

उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
कर्णप्रयाग (मण्डल) UPCL



सन्तोष डिमरी
(विधि सदस्य)

सदस्य-विधि

उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
कर्णप्रयाग (मण्डल) UPCL



रघुराज सिंह
(तकनीकी सदस्य)

सदस्य-तकनीकी

उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
कर्णप्रयाग (मण्डल) UPCL

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच कर्णप्रयाग(निकट-ताज पैलेस गौचर)

उत्तराखण्ड पावर कॉरपोरेशन लि० कर्णप्रयाग,

Email:- cgrfupcl@gmail.com पिन कोड:- 246429

पत्रांक:- 1148/उ०शि०नि०म०/क०क्ष०/शि०नि०/2024-25,

दिनांक:- ०७/०२/२०२५

वाद संख्या 459/2024-25

श्री भगत सिंह दानू,

ग्रा०-हिमनी मल्ली बहत्तरा, पो०-घेस,

जिला-चमोली।

-

परिवादी

बनाम

अधिशाली अभियन्ता

विद्युत वितरण खण्ड,

नारायणबगड़।

-

विपक्षी

कोरम

श्री अर्जुन सिंह बिष्ट

श्री सन्तोष डिमरी

श्री रघुराज सिंह

उपभोक्ता सदस्य

विधि सदस्य

तकनीकी सदस्य

निर्णय

1. परिवाद विद्युत श्रेणी के सन्दर्भ में है। श्री भगत सिंह दानू, ग्रा०-हिमनी मल्ली बहत्तरा, पो०-घेस जिला-चमोली, वि०वि०खण्ड नारायणबगड़ ने दिनांक 15.01.2025 को कैम्प के दौरान पत्र के माध्यम से विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच कर्णप्रयाग को अवगत किया कि उपभोक्ता एक BPL श्रेणी का उपभोक्ता है, एवं विभाग द्वारा उनका विद्युत संयोजन APL श्रेणी में जारी किया गया है। प्रार्थी द्वारा मंच से उचित न्याय की मांग की गई है।
2. मंच द्वारा दर्ज शिकायत की सुनवाई दिनांक 15.01.2025 को कैम्प के दौरान ही की गई। विभाग की ओर से श्री शैलेन्द्र बिष्ट अधिशाली अभियन्ता, वि०वि०खण्ड नारायणबगड़ व श्री अतुल कुमार उपखण्ड अधिकारी वि०वि०उपखण्ड थराली उपस्थित हुए, अधिशाली अभियन्ता द्वारा अवगत किया गया कि अधिशाली अभियन्ता द्वारा मंच अवगत किया गया कि हिमाच्छादित क्षेत्र होने की वजह से इस क्षेत्र के सभी विद्युत उपभोक्ताओं के बिल अब छूट के साथ बी०पी०एल० श्रेणी की तर्ज पर ही आएंगे।

आदेश

परिवादी द्वारा प्रस्तुत परिवाद का समाधान वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा कर दिया गया है। इस निर्णय से सन्तुष्ट न होने पर परिवादी विद्युत ओम्बुड्समैन, 80 बसन्त बिहार, देहरादून में अपील कर सकता है।

तदनुसार परिवाद निस्तारित किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।



अर्जुन सिंह बिष्ट
(उपभोक्ता सदस्य)

सदस्य-उपभोक्ता

उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
कर्णप्रयाग (सम्बन्ध) UPCL



सन्तोष डिमरी
(विधि सदस्य)

सदस्य-विधि

उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
कर्णप्रयाग (सम्बन्ध) UPCL



रघुराज सिंह
(तकनीकी सदस्य)

सदस्य-तकनीकी

उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
कर्णप्रयाग (सम्बन्ध) UPCL

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच कर्णप्रयाग(निकट-ताज पैलेस गौचर)

उत्तराखण्ड पॉवर कॉरपोरेशन लि० कर्णप्रयाग,

Email:- cgrfupcl@gmail.com पिन कोड:- 246429

पत्रांक:- 1199 /उ०शि०नि०मं० /क०क्षे० /शि०नि० /2024-25,

दिनांक:- 07/02/2025

वाद संख्या 460 /2024-25

श्रीमती धर्मा देवी,
ग्रा०-बलाण, पो०-बलाण,
जिला-चमोली।

-

परिवादी

बनाम

अधिशाली अभियन्ता
विद्युत वितरण खण्ड,
नारायणबगड़।

-

विपक्षी

कोरम

श्री अर्जुन सिंह बिष्ट
श्री सन्तोष डिमरी
श्री रघुराज सिंह

उपभोक्ता सदस्य
विधि सदस्य
तकनीकी सदस्य

निर्णय

- परिवाद विद्युत श्रेणी के सन्दर्भ में है। श्रीमती धर्मा देवी, ग्रा० व पो०-बलाण जिला-चमोली, वि०वि०खण्ड नारायणबगड़ ने दिनांक 15.01.2025 को कैम्प के दौरान पत्र के माध्यम से विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच कर्णप्रयाग को अवगत किया कि उपभोक्ता एक BPL श्रेणी की उपभोक्ता है, एवं विभाग द्वारा उनका विद्युत संयोजन APL श्रेणी में जारी किया गया है। प्रार्थिनी द्वारा मंच से उचित न्याय की मांग की गई है।
- मंच द्वारा दर्ज शिकायत की सुनवाई दिनांक 15.01.2025 को कैम्प के दौरान ही की गई। विभाग की ओर से श्री शैलेन्द्र बिष्ट अधिशाली अभियन्ता, वि०वि०खण्ड नारायणबगड़ व श्री अतुल कुमार उपखण्ड अधिकारी वि०वि०उपखण्ड थराली उपस्थित हुए, अधिशाली अभियन्ता द्वारा मंच को अवगत किया गया कि हिमाच्छादित क्षेत्र होने की वजह से इस क्षेत्र के सभी विद्युत उपभोक्ताओं के बिल अब छूट के साथ बी०पी०एल० श्रेणी की तर्ज पर ही आएंगे।

आदेश

परिवादी द्वारा प्रस्तुत परिवाद का समाधान वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा कर दिया गया है। इस निर्णय से सन्तुष्ट न होने पर परिवादी विद्युत ओम्बुड्समैन, 80 बसन्त बिहार, देहरादून में अपील कर सकता है। तदानुसार परिवाद निस्तारित किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।



अर्जुन सिंह बिष्ट
(उपभोक्ता सदस्य)

सदस्य-उपभोक्ता

उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
कर्णप्रयाग (मण्डल) UPCL



सन्तोष डिमरी
(विधि सदस्य)

सदस्य-विधि

उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
कर्णप्रयाग (मण्डल) UPCL



रघुराज सिंह
(तकनीकी सदस्य)

सदस्य-तकनीकी

उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
कर्णप्रयाग (मण्डल) UPCL

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच कर्णप्रयाग(निकट-ताज पैलेस गौचर)

उत्तराखण्ड पावर कॉरपोरेशन लि० कर्णप्रयाग,

Email:- cgrfupcl@gmail.com पिन कोड:- 246429

पत्रांक:- 1200 / उ०शि०नि०मं० / क०क्षे० / शि०नि० / 2024-25,

दिनांक:- 10 / 02 / 2025

वाद संख्या 461 / 2024-25

श्री प्रताप सिंह दानू,
ग्रा० व पो०-घेस,
जिला-चमोली।

परिवादी

अधिशाली अभियन्ता
विद्युत वितरण खण्ड,
नारायणबगड़।

बनाम

विपक्षी

श्री अर्जुन सिंह बिष्ट
श्री सन्तोष डिमरी
श्री रघुराज सिंह

कोरम

उपभोक्ता सदस्य
विधि सदस्य
तकनीकी सदस्य

निर्णय

1. परिवाद विद्युत बिल कम करने के सन्दर्भ में है। श्री प्रताप सिंह दानू, ग्रा० व पो०-घेस, जिला-चमोली, वि०वि०खण्ड नारायणबगड़ ने दिनांक 15.01.2025 को कैम्प के दौरान पत्र के माध्यम से विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच कर्णप्रयाग को अवगत किया कि प्रार्थी एक BPL श्रेणी का उपभोक्ता है एवं उसका विद्युत बिल उसकी आपूर्ति से अधिक आ रहा है। प्रार्थी द्वारा मंच से उचित न्याय की मांग की गई है।
2. मंच द्वारा दर्ज शिकायत की सुनवाई दिनांक 15.01.2025 को कैम्प के दौरान ही की गई। विभाग की ओर से श्री शैलेन्द्र बिष्ट अधिशाली अभियन्ता, वि०वि०खण्ड नारायणबगड़ व श्री अतुल कुमार उपखण्ड अधिकारी वि०वि०उपखण्ड थराली उपस्थित हुए, अधिशाली अभियन्ता द्वारा मंच को अवगत किया गया कि हिमाच्छादित क्षेत्र होने की वजह से इस क्षेत्र के सभी विद्युत उपभोक्ताओं के बिल अब छूट के साथ बी०पी०एल० श्रेणी की तर्ज पर ही आएंगे।

आदेश

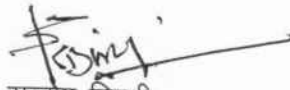
परिवादी द्वारा प्रस्तुत परिवाद का समाधान वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा कर दिया गया है। इस निर्णय से सन्तुष्ट न होने पर परिवादी विद्युत ओम्बुड्समैन, 80 बसन्त बिहार, देहरादून में अपील कर सकता है। तदनुसार परिवाद निस्तारित किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।



अर्जुन सिंह बिष्ट
(उपभोक्ता सदस्य)

सदस्य-उपभोक्ता

उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
कर्णप्रयाग (मण्डल) UPCL



सन्तोष डिमरी
(विधि सदस्य)

सदस्य-विधि

उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
कर्णप्रयाग (मण्डल) UPCL



रघुराज सिंह
(तकनीकी सदस्य)

सदस्य-तकनीकी

उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
कर्णप्रयाग (मण्डल) UPCL

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच कर्णप्रयाग(निकट-ताज पैलेस गौचर)

उत्तराखण्ड पावर कॉरपोरेशन लि० कर्णप्रयाग,

Email:- cgrfupcl@gmail.com पिन कोड:- 246429

पत्रांक:- 1201 / उ०शि०नि०मं० / क०क्षे० / शि०नि० / 2024-25,

दिनांक:- 10/02/2025

वाद संख्या 462/2024-25

श्रीमती दीमा देवी,
ग्रा० व पो०-घेस,
जिला-चमोली।

परिवादी

अधिशाली अभियन्ता
विद्युत वितरण खण्ड,
नारायणबगड़।

बनाम

विपक्षी

श्री अर्जुन सिंह बिष्ट
श्री सन्तोष डिमरी
श्री रघुराज सिंह

कोरम

उपभोक्ता सदस्य
विधि सदस्य
तकनीकी सदस्य

निर्णय

- परिवाद विद्युत बिल कम करने के सन्दर्भ में है। श्रीमती दीमा देवी, ग्रा० व पो०-घेस, जिला-चमोली, वि०वि०खण्ड नारायणबगड़ ने दिनांक 15.01.2025 को कैम्प के दौरान पत्र के माध्यम से विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच कर्णप्रयाग को अवगत किया कि प्रार्थिनी एक BPL श्रेणी की उपभोक्ता है एवं उसका विद्युत बिल उसकी आपूर्ति से अधिक आ रहा है। प्रार्थिनी द्वारा मंच से उचित न्याय की मांग की गई है।
- मंच द्वारा दर्ज शिकायत की सुनवाई दिनांक 15.01.2025 को कैम्प के दौरान ही की गई। विभाग की ओर से श्री शैलेन्द्र बिष्ट अधिशाली अभियन्ता, वि०वि०खण्ड नारायणबगड़ व श्री अतुल कुमार उपखण्ड अधिकारी वि०वि०उपखण्ड थराली उपस्थित हुए, अधिशाली अभियन्ता द्वारा मंच अवगत किया गया कि हिमाच्छादित क्षेत्र होने की वजह से इस क्षेत्र के सभी विद्युत उपभोक्ताओं के बिल अब छूट के साथ बी०पी०एल० श्रेणी की तर्ज पर ही आएंगे।

आदेश

परिवादी द्वारा प्रस्तुत परिवाद का समाधान वितरण अनुज्ञापतिधारी द्वारा कर दिया गया है। इस निर्णय से सन्तुष्ट न होने पर परिवादी विद्युत ओम्बुड्समैन, 80 बसन्त बिहार, देहरादून में अपील कर सकता है। तदनुसार परिवाद निस्तारित किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

अर्जुन सिंह बिष्ट
(उपभोक्ता सदस्य)

सदस्य-उपभोक्ता

उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
कर्णप्रयाग (मण्डल) UPCL

सन्तोष डिमरी
(विधि सदस्य)

सदस्य-विधि

उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
कर्णप्रयाग (मण्डल) UPCL

रघुराज सिंह
(तकनीकी सदस्य)

सदस्य-तकनीकी

उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
कर्णप्रयाग (मण्डल) UPCL

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच कर्णप्रयाग(निकट-ताज पैलेस गौचर)

उत्तराखण्ड पॉवर कॉरपोरेशन लि० कर्णप्रयाग,

Email:- cgrfupcl@gmail.com पिन कोड:- 246429

पत्रांक:- 1202 / उ०शि०नि०मं० / क०क्षे० / शि०नि० / 2024-25,

दिनांक:- 10/02/2025

वाद संख्या 463 / 2024-25

श्री खड़क सिंह दानू,
ग्रा० व पो०-घेस,
जिला-चमोली।

परिवादी

बनाम

अधिशाली अभियन्ता
विद्युत वितरण खण्ड,
नारायणबगड़।

विपक्षी

कोरम

श्री अर्जुन सिंह बिष्ट
श्री सन्तोष डिमरी
श्री रघुराज सिंह

उपभोक्ता सदस्य
विधि सदस्य
तकनीकी सदस्य

निर्णय

- परिवाद नया विद्युत संयोजन लेने के सन्दर्भ में है। श्री खड़क सिंह दानू, ग्रा० व पो०-घेस, जिला-चमोली, वि०वि०खण्ड नारायणबगड़ ने दिनांक 15.01.2025 को कैम्प के दौरान पत्र के माध्यम से विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच कर्णप्रयाग को अवगत किया कि वह एक BPL श्रेणी का व्यक्ति है, जिसे विभाग द्वारा एक संयोजन की आवश्यकता है।
- मंच द्वारा दर्ज शिकायत की सुनवाई दिनांक 15.01.2025 को कैम्प के दौरान ही की गई। विभाग की ओर से श्री शैलेन्द्र बिष्ट अधिशाली अभियन्ता, वि०वि०खण्ड नारायणबगड़ व श्री अतुल कुमार उपखण्ड अधिकारी वि०वि०उपखण्ड थराली उपस्थित हुए, अधिशाली अभियन्ता द्वारा मंच को अवगत किया गया कि उपभोक्ता की उक्त शिकायत का समाधान कर दिया गया है। उपभोक्ता द्वारा भी मंच को अवगत किया गया कि उसकी शिकायत का समाधान विभाग द्वारा कर दिया गया है।

आदेश

परिवादी द्वारा प्रस्तुत परिवाद का समाधान वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा कर दिया गया है। इस निर्णय से सन्तुष्ट न होने पर परिवादी विद्युत ओम्बुड्समैन, 80 बसन्त बिहार, देहरादून में अपील कर सकता है।

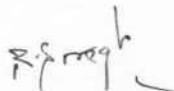
तदनुसार परिवाद निस्तारित किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।


अर्जुन सिंह बिष्ट
(उपभोक्ता सदस्य)

सदस्य-उपभोक्ता
उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
कर्णप्रयाग (निकट) UPCL


सन्तोष डिमरी
(विधि सदस्य)

सदस्य-विधि
उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
कर्णप्रयाग (निकट) UPCL


रघुराज सिंह
(तकनीकी सदस्य)

सदस्य-तकनीकी
उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
कर्णप्रयाग (निकट) UPCL

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच कर्णप्रयाग(निकट-ताज पैलेस गौचर)

उत्तराखण्ड पावर कॉरपोरेशन लि० कर्णप्रयाग,

Email:- cgrfupcl@gmail.com पिन कोड:- 246429

पत्रांक:- 1203 / उ०शि०नि०मं० / क०क्षे० / शि०नि० / 2024-25,

दिनांक:- 10/02/2025

वाद संख्या 464 / 2024-25

श्री गोविन्द सिंह,
ग्रा० व पो०-घेस,
जिला-चमोली।

परिवादी

अधिशाली अभियन्ता
विद्युत वितरण खण्ड,
नारायणबगड़।

बनाम

विपक्षी

श्री अर्जुन सिंह बिष्ट
श्री सन्तोष डिमरी
श्री रघुराज सिंह

कोरम

उपभोक्ता सदस्य
विधि सदस्य
तकनीकी सदस्य

निर्णय

- परिवाद विद्युत संयोजन निरस्त कर नया विद्युत संयोजन जारी करने के सन्दर्भ में है। श्री गोविन्द सिंह, ग्रा० व पो०-घेस, जिला-चमोली, वि०वि०खण्ड नारायणबगड़ ने दिनांक 15.01.2025 को कैम्प के दौरान पत्र के माध्यम से विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच कर्णप्रयाग को अवगत किया कि उपभोक्ता दूसरों पर निरासित व्यक्ति है एवं वह अपना विद्युत बिल देने में असमर्थ है। प्रार्थी द्वारा मंच से उचित न्याय की मांग की गई है।
- मंच द्वारा दर्ज शिकायत की सुनवाई दिनांक 15.01.2025 को कैम्प के दौरान ही की गई। विभाग की ओर से श्री शैलेन्द्र बिष्ट अधिशाली अभियन्ता, वि०वि०खण्ड नारायणबगड़ व श्री अतुल कुमार उपखण्ड अधिकारी वि०वि०उपखण्ड थराली उपस्थित हुए, अधिशाली अभियन्ता द्वारा मंच को अवगत किया गया कि उपभोक्ता की उक्त शिकायत का समाधान कर दिया गया है। उपभोक्ता द्वारा भी मंच को अवगत किया गया कि उसकी शिकायत का समाधान विभाग द्वारा कर दिया गया है।

आदेश

परिवादी द्वारा प्रस्तुत परिवाद का समाधान वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा कर दिया गया है। इस निर्णय से सन्तुष्ट न होने पर परिवादी विद्युत ओम्बुड्समैन, 80 बसन्त बिहार, देहरादून में अपील कर सकता है।

तदनुसार परिवाद निस्तारित किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।



अर्जुन सिंह बिष्ट
(उपभोक्ता सदस्य)

सदस्य-उपभोक्ता

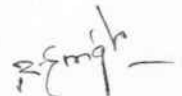
उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
कर्णप्रयाग (मण्डल) UPCL



सन्तोष डिमरी
(विधि सदस्य)

सदस्य-विधि

उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
कर्णप्रयाग (मण्डल) UPCL



रघुराज सिंह
(तकनीकी सदस्य)

सदस्य-तकनीकी

उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
कर्णप्रयाग (मण्डल) UPCL

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच कर्णप्रयाग(निकट-ताज पैलेस गौचर)

उत्तराखण्ड पॉवर कॉरपोरेशन लि० कर्णप्रयाग,

Email:- cgrfupcl@gmail.com पिन कोड:- 246429

पत्रांक:- (204 / उ०शि०नि०मं० / क०क्षे० / शि०नि० / 2024-25.

दिनांक:- 10/02/2025

वाद संख्या 465 / 2024-25

समस्त ग्रामवासी
ताला कोलंग्री तोक
ग्रा० व पो०-घेस,
जिला-चमोली।

परिवादी

बनाम

अधिशाली अभियन्ता
विद्युत वितरण खण्ड,
नारायणबगड़।

विपक्षी

कोरम

श्री अर्जुन सिंह बिष्ट
श्री सन्तोष डिमरी
श्री रघुराज सिंह

उपभोक्ता सदस्य
विधि सदस्य
तकनीकी सदस्य

निर्णय

1. परिवाद नया विद्युत ट्रांसफार्मर लगवाने के सन्दर्भ में है। समस्त ग्रामवासी, ताला कोलंग्री तोक ग्रा० व पो०-घेस, जिला-चमोली, वि०वि०खण्ड नारायणबगड़ ने दिनांक 15.01.2025 को कैम्प के दौरान पत्र के माध्यम से विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच कर्णप्रयाग को अवगत किया कि उक्त तोक में विभाग का विद्युत ट्रांसफार्मर खराब है, जिसे विभाग द्वारा बदला नहीं गया है। उपभोक्ताओं द्वारा मंच से उचित न्याय की मांग की गई है।
2. मंच द्वारा दर्ज शिकायत की सुनवाई दिनांक 15.01.2025 को कैम्प के दौरान ही की गई। विभाग की ओर से श्री शैलेन्द्र बिष्ट अधिशाली अभियन्ता, वि०वि०खण्ड नारायणबगड़ व श्री अतुल कुमार उपखण्ड अधिकारी वि०वि०उपखण्ड थराली उपस्थित हुए, अधिशाली अभियन्ता द्वारा मंच को अवगत किया गया कि उपभोक्ता की उक्त शिकायत का समाधान कर दिया गया है। उपभोक्ताओं एवं विभाग की आपसी सहमति होने पर मंच द्वारा परिवाद निस्तारित किया गया।

आदेश

परिवादी द्वारा प्रस्तुत परिवाद का समाधान वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा कर दिया गया है। इस निर्णय से सन्तुष्ट न होने पर परिवादी विद्युत ओम्बुड्समैन, 80 बसन्त बिहार, देहरादून में अपील कर सकता है।

तदनुसार परिवाद निस्तारित किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।



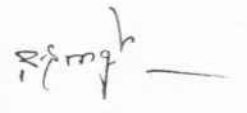
अर्जुन सिंह बिष्ट
(उपभोक्ता सदस्य)
सदस्य-उपभोक्ता

उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
कर्णप्रयाग (मण्डल) UPCL



सन्तोष डिमरी
(विधि सदस्य)

उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
कर्णप्रयाग (मण्डल) UPCL



रघुराज सिंह
(तकनीकी सदस्य)
सदस्य-तकनीकी

उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
कर्णप्रयाग (मण्डल) UPCL